सत्यमेव जयते

"पंचायती राज–अपना राज"

उत्तरांचल शासन

पंचायती राज व्यवस्था

का

संयुक्त घोषणा पत्र

भारत के संविधान के भाग–9 में निहित प्राविधानों के अनुरूप पचायत राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में शक्ति सम्पन्न बनाने, इन संस्थाओं द्वारा अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं सामाजिक उन्नयन की योजनाओं को बनाने और उनका कियान्वयन करने तथा उन योजनाओं का सम्यक अनुश्रवण कर इन योजनाओं को व्यापक जनहित के अनुरूप बनाने, कार्यों में पारदर्शिता लाने और अन्ततः आर्थिक विकास एवं सामाजिक उन्नयन में जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तरांचल शासन द्वारा अब तक निम्नलिखित कार्यों को सम्पन्न किया जा चुका है :–

1– भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–जी की भावना के अनुरूप संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों में से 14 विषयों को पंचायतों को हस्तान्तरित करने के लिए कार्यकारी आदेश दिनांक 29/10/03 को जारी किये जा चुके हैं।

2– कार्यकारी आदेश दिनांक 29/10/03 के द्वारा हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में प्रशासनिक नियन्त्रण, वित्तीय अधिकारों तथा कार्मिकों और दायित्वों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

3– पंचायतों को हस्तान्तरित 14 विषयों से संबंधित 11 विभागों द्वारा अपने विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत विभागीय आदेश जारी किये जा चुके हैं।

4– अन्तरित विषयों के सम्बन्ध में विभागीय कार्यकारी आदेशों के द्वारा कार्मिकों को पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है।

5– पंचायतों को अन्तरित किये जाने वाले प्रत्येक विषय के गतिविधि मानचित्र तैयार किये गये हैं।

6– गतिविधि मानचित्रों को तैयार करने में स्वय सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया गया है।

7– गतिविधि मानचित्रण के आधार पर पंचायतों को अन्तरित 14 विषयों से संबंधित 11 विभागों द्वारा अपने कार्यकारी आदेशों का पुनरीक्षण किया जा रहा हैं।

8– पंचायतों को सुदृढ़ वित्तीय आधार देने के लिए संस्तुतियां देने के निमित्त वर्ष 2001 में राज्य के प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया।

9– प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2003 में अपनी संस्तुतियां दी गई।

10– राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जिला पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को शर्तमुक्त वित्तीय अनुदान दिये गये।

11– राज्य वित्त आयोग द्वारा मध्यवर्ती पंचायतों को वित्तीय अनुदानों की संस्तुति नहीं की गई थी, अतः इन पंचायतों को सुदृढ वित्तीय आधार देने के लिए सम्यक विचारोपरान्त 25 लाख रू0 प्रति मध्यवर्ती पंचायत की दर से वार्षिक अनुदान वित्तीय वर्ष 2005–06 से प्रारम्भ किया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 के बजट में इस प्रयोजन हेतु रू0– 23.75 करोड़ का प्रविधान किया जा चुका है।

12– राज्य में द्वितीय वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है।

13– ग्राम पंचायतें, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी संस्था हैं। उत्तरांचल प्रदेश की 7,227 ग्राम पंचायतों में से 2644 ग्राम पचायतों को उनके कार्यालयों के लिए पंचायत भवन पूर्व में उपलब्ध कराये जा चुके थे।

14– उत्तरांचल प्रदेश की 4,583 ऐसी ग्राम सभाओं को जिनके पास अपने कार्यालय एंव सभा के लिए पंचायत भवन नहीं थे, वित्तीय वर्ष 2004–05 की अनुपूरक मागों तथा 2005–06 के नियमित आय व्ययक में वित्तीय व्यवस्था कर पंचायत घरों की स्वीकृति दी गई हैं, इस प्रकार राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यालय/सभा भवन के निर्माण हेतु रू0– 80 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है।

15– पंचायत घरों के निर्माण में पूरे प्रदेश में एकरूपता रखने के लिए मानक मानचित्र बनाया गया हैं और इन पंचायत घरों का नामकरण "राजीव गांधी पंचायत भवन" किया गया है।

16– ग्राम पंचायतों को राजस्व प्राप्ति के स्रोत के रूप में भी इन पंचायत भवनों का उपयोग हो, और इस प्रकार ये भवन व्यावसायिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में भी विकसित हो, ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा ग्राम पंचायतों से की गई है।

17– वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए पंचायत क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण करने तथा उसके अनुरूप योजना का निर्माण करने और योजना का कियान्वयन करने के विषय में पंचायत प्रतिनिधियों तथा पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। अब तक इस प्रशिक्षण में 80 प्रतिशत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा चुकी है।

18– पंचायतों के लेखों के रखरखाव के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रपत्रों को लागू किया जा चुका है।

19– लेखे के नये प्रपत्रों को सभी स्तरों की पंचायतों को उपलब्ध कराया जा चुका हैं।

20– नये प्रपत्रों के प्रयोग तथा प्रविष्टियों के सम्बन्ध में प्रथम चक्र का प्रशिक्षण तीनों स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जा चुका है।

21– जनपद स्तर के कार्यालयों पर कम्प्यूटरों की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं। इन कार्यालयों में जिला पंचायत राज अधिकारियों के कार्यालय तथा जिला पंचायतों के कार्यालय सम्मिलित हैं।

22– मध्यवर्ती पंचायतों में कम्प्यूटरों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। यह कम्प्यूटर मध्यवर्ती पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के उपयोग में आयेगे।

23– ग्राम सभाओं को योजना को स्वीकार करने का अधिकार देने की व्यवस्था अधिनियम में की गई हैं।

24– लाभार्थियों का चयन करने का अधिकार ग्राम सभाओं को देने की व्यवस्था भी अधिनियम में की गई हैं।

25– ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण करने का अधिकार ग्राम सभा को हैं।

26– महिलाओं के लिए निर्वाचन में आरक्षण की व्यवस्था है और वर्तमान में 35.45 प्रतिशत पदों पर महिलायें निर्वाचित हुई हैं।

27– अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात मे आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं।

28– महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें एक कार्यकाल के लिए आरक्षित की गई हैं।

29– निर्वाचित महिलाओं के क्षमता विकास के निमित्त महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया हैं।

30– उत्तरांचल राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जा चुका है।

31– राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

32– राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2003 में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जा चुके हैं।

33–वर्ष 2005 में जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही हैं।

34– पंचायतो के लेखों का परीक्षण स्थानीय निधि लेखा द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है।

35– पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षण के लिए महालेखाकार को प्राधिकृत किया जा चुका है।

36– लेखा परीक्षण के परिच्छेदों को सुधारात्मक बनाने पर बल दिया गया है ताकि लेखों के रखरखाव में निरंतर सुधार आ सके।

पंचायती राज संस्थाओं को और सुदृढ़, अधिकार सम्पन्न आयोजना तथा कियान्वयन में सक्षम बनाने तथा उनको अपने संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए उत्तरांचल शासन निरन्तर प्रयासशील रहेगा और यह भी प्रयास रहेगा कि :–

1– पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से प्रत्येक स्तर पर संवाद बनाया जायेगा तथा दृष्टिगत होने वाली कठिनाइयों को व्यावहारिक रूप से इनका निराकरण किया जायेगा।

2. पंचायतों को विषयों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में गतिविधि मानचित्रण के आधार पर पुनरीक्षित कार्यकारी आदेश अगस्त 2005 तक कर दिये जायेगें तथा यदि कियान्वयन में कोई कठिनाई आती है तो उसे सम्बन्धित स्तर पर उसका निराकरण किया जायेगा तथा मा0 केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्री जी की उपस्थिति में इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया जायेगा।

3– वित्तीय हस्तान्तरण के लिए 2006–07 के अंत तक रोड मैप तैयार कर उसके आधार पर वास्तविक हस्तान्तरण भी इसी अवधि में कर लिया जायेगा ।

4– कार्यकारी आदेशों के जारी होने के बाद भी कियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर निरन्तर दृष्टि रखी जायेगी।

5– वर्ष 2005–2006 के अंत तक जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों का जिला पंचायतों में विलय कर दिया जायेगा।

6– गतिविधि मानचित्रण के आधार पर कार्मिकों के हस्तान्तरण का कार्य चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त तक पूरा कर लिया जायेगा।

7– ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए तथा उनकी क्षमता विकास के लिए उन्हें निरन्तर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

8– जिला योजना समिति का विधिवत गठन अक्टूबर 2005 तक कर लिया जायेगा, ताकि अगले वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना इस समिति द्वारा तैयार की जा सके ।

9– पंचायतों के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कार्यवाही की जायेगी और प्रथम बार वित्तीय वर्ष 2006–2007 में प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जायेगें ।

10– वर्ष 2005–2006 के लेखों से पंचायतों के लेखा परीक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

11– वर्ष 2005–2006 के अंत तक विभागीय सिटीजन चार्टर तैयार कर लिये जायेंगे।

12. वन पंचायतों का ~~को ग्राम~~ पंचायतों व्यवस्था से समुचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। ~~की स्थायी समिति के रूप में गठित करते हुए वन पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच सम्बन्ध स्थापित कराया जायेगा~~ ।

13. उत्तरांचल में जिला पंचायतों के पास अपने राजस्व को बढ़ाने लिए पर्याप्त आधार हैं और यह बहुत अच्छी व्यवस्था है किन्तु पंचायतों के अन्य स्तरों विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को कर लगाने तथा यूजर चार्जेज लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है । राज्य सरकार कराधान हेतु सुसंगत सुधार की व्यवस्था करेगी।

14. आरक्षित श्रेणी के प्रतिनिधियों के क्षमता विकास तथा उनमें नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए उत्तरांचल शासन आरक्षण के लिए कार्यकालों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में विचार करेगी, किन्तु कार्यकालों की संख्या कितनी होगी, इस पर राज्य विधानमंडल द्वारा ही निर्णय लिया जा सकेगा ।

15– योजना की सफलता, कियान्वयन का अनुश्रवण, लाभार्थियों का चयन, पारदर्शिता और सामाजिक लेखा परीक्षण के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि, न केवल ग्राम पंचायतों की क्षमता का विकास हो, बल्कि ग्राम सभाओं को भी अधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक होगा कि चरणबद्ध रूप से ग्राम सभाओं को सक्षम बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा।

16– त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को लेखे तथा कम्प्यूटर में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। इन दोनों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

उत्तरांचल राज्य की यह अभिलाषा है कि पंचायतें अधिकार सम्पन्न और सक्षम हो, इसके लिए राज्य शासन हर संभव प्रयास कर रहा हैं और भविष्य में भी राज्य शासन का यह प्रयास होगा कि प्रत्येक स्तर पर पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य किया जाए किन्तु बिना भारत सरकार के सकिय सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करना राज्य शासन के लिए संभव नहीं हैं। अतएव भारत सरकार की वचन बद्धता है कि :–

1– केन्द्रपोषित, योजनाओं में जहां–जहां समितियों की व्यवस्था हैं, वहां–वहां या तो उपयुक्त स्तर की पंचायत को या पंचायत की समिति को इसके स्थान पर प्रतिस्थापित करें, ताकि पंचायतें सकिय भूमिका निभा सकें।

2. केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्रीय धनराशियॉ शर्तमुक्त अनुदानों के रूप में प्राप्त हों और केन्द्र पोषित योजनाओं में कमिक सुधार हो, जिसमें पंचायत इम्पावरमेंट इनसैन्टिव फन्डस् की स्थापना भी सम्मिलित होगी, ताकि जिला तथा तहसील स्तर पर संविधान के भाग–9 तथा भाग–9(ए) में निहित सुसंगत प्राविधानों के अनुसार सुशासन के कार्य हो सके ।

3– केन्द्रीय अधिनियमों विशेषकर वन अधिनियम को इस प्रकार परिवर्तित करें कि उसके प्रविधान पंचायतों के कार्यों में व्यवधानकारी न रहें।

4– राज्य सरकार के आर्थिक संसाधन अपेक्षाकृत कम हैं। अतः योजनाओं के कियान्वयन हेतु भारत सरकार से आवर्तक शर्तमुक्त अनुदान पंचायतों को प्राप्त हो और उनकी धनराशियां कम से कम इतनी हो कि पंचायते विकास के कार्य कर सके।

5– ग्राम सभाओं के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु धनराशि भारत सरकार से राज्य शासन को उपलब्ध होगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय वचनबद्ध है कि उत्तरांचल राज्य को डिस्टेन्स ट्रेनिंग की सुविधा उपग्रह के माध्यम से उपलब्ध कराई जाय ।

6– निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु आवर्तक अनुदान राज्य शासन को निरन्तर प्राप्त हो ताकि प्रत्येक स्तर पर निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को कार्यों की जानकारी हो सके तथा उन्हें विषयों की नवीनतम जानकारी भी दी जा सके।

7– लेखा और कम्पयूटर में दक्षता के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित होना आवश्यक हैं तभी लेखों का रख–रखाव सही हो पायेगा। अतः कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु अनुदान राज्य सरकार को प्राप्त होना आवश्यक है।

8– पंचायतों की कार्यप्रणाली को निरंतर विकासशील रखने के लिए यह आवश्यक हैं कि पंचायत के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को उन राज्यों की प्रणाली समझने का मौका मिले जिनमें पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ हो, अतः राज्य सरकार यह चाहती हैं कि पंचायती राज के प्रतिनिधि तथा कार्मिकों का **Exposure** हो। ऐसे **Exposure Tours** के लिए राज्य सरकार को भारत सरकार के सहायता की आवश्यकता होगी।

9– प्रदेश की 500 से अधिक जनसंख्या वाली 3552 ग्राम पंचायतों को प्रथम चरण में कम्प्यूटर दे दिये जाय और पुनः पंचायत प्रतिनिधि/कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाये।

10. केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्रालय उत्तरांचल शासन को पंचायतीराज व्यवस्था में सुधार,नये पंचायतीराज अधिनियम को/ राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों एवं विभिन्न वर्गों एवं समुदायों यथा-x तैयार करने, गतिविधि मानचित्रण तथा वित्तीय अधिकारों के सकंमण आदि में तकनीकी सहयोग देने के लिए वचनबद्धता प्रकट करता है।

सुदृढ़ पंचायती राज, सक्षम पंचायती राज प्रतिनिधि और सुदृढ़ तथा पारदर्शी पंचायत व्यवस्था राज्य शासन का ध्येय है और भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से ही इस ध्येय की प्राप्ति होगी, ऐसा विश्वास है।

मणि शंकर अय्यर 24/6/05
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और
पंचायती राज मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

(नारायण दत्त तिवारी) 24.6.2005
मुख्यमंत्री
उत्तरांचल।

x- अल्प संख्यक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़ा एवं निर्बल वर्ग की परिस्थितियों एवं समस्याओं तथा हितों को ध्यान में रखते हुए